* राष्ट्रपति *

- अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
- अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी।
- यह भारत का संवैधानिक प्रधान होता है।
- यह कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रधान होता है।
- यह भारत का प्रथम नागरिक होता है।
- भारत संघ का शासन इसी के नाम से चलाया जाता है।
- यह (ब्रिटेन से) नाममात्र का प्रधान होता है, इसकी शक्तियों का वास्तविक रूप में प्रयोग प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है।

- राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद 54) → राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें निम्न सदस्य भाग लेते है →
1. संसद के दोनो सदनों के निर्वाचित सदस्य
2. सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
3. दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

Note → राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी मनोनीत सदस्य एवं राज्य विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते।

- चुनाव की विधि (अनुच्छेद 55) → आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है।

- कार्यकाल (अनुच्छेद 56) → पद ग्रहण करने से 5 वर्ष का होता है, परन्तु इससे पहले भी वह स्वेच्छा से उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, अथवा

महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

* Note → राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 56 में है जबकि उस पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है।

* राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन :→ अनुच्छेद 57 – एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है।

* योग्यता (अनुच्छेद 58) →
1. वह भारत का नागरिक हो।
2. 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो।
3. लाभ के पद पर नहीं हो।
4. कदाचित पागल व दिवालिया नहीं हो।
5. लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।

*शर्तें/अर्हताएं (अनुच्छेद 59) →
1. राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं बन सकता।

* शपथ (अनुच्छेद 60) →
राष्ट्रपति को संविधान के संरक्षण, परिरक्षण व प्रतिरक्षा की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है।

* राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया (अनुच्छेद 61) → (अमेरिका से)
1. राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर लगाया जाता है।
2. यह संसद के $\frac{1}{4}$ सदस्यों के द्वारा लाया जाता है।
3. यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे दोनों सदन विशेष बहुमत ($\frac{2}{3}$) से पारित करती है।

V.V गिरी – वराह वेंकट गिरी

- इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जाती है।
4. यह एक अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है।

* महत्वपूर्ण तथ्य →

1. राष्ट्रपति के चुनाव तथा योग्यता / अयोग्यता संबंधी विवाद पर अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह से सर्वोच्च न्यायालय करता है।
2. राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक अनिवार्य है।
3. डा नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गये थे तथा इससे पहले वे चुनाव हार गये थे।
4. V.V गिरी द्वितीय चक्र की मतगणना में एवं निर्दलीय (1969) उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने गये।
5. भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति V.V गिरी बने।
6 मोहम्मद हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के एक मात्र मुख्य न्यायाधिश है जिन्होने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर काम किया है।
7. राष्ट्रपति डॉ जाकिर हुसैन एंव फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु पद पर रहते हुये हुई है।
8 राष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है। (वर्तमान 5 लाख रुपये)
बर्तमान राष्ट्रपति — रामनाथ कोविंद (14वें)
उत्तरप्रदेश के निवासी तथा बिहार के राज्यपाल रहे है।

* राष्ट्रपति की शक्तियाँ :→

I सामान्य कालीन शक्तियाँ (4) →

1. कार्यपालिका शक्तियाँ →

अनुच्छेद 86 – के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के ~~प्रथम सत्र~~ में अपना अभिभाषण देता है। संदेश

अनुच्छेद 87 – इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का विशेष सत्र या अधिवेशन बुला सकता है। लोकसभा

87 → चुनाव के बाद लोकसभा के प्रथम सत्र — विशेष अभिभाषण

1. भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है।
2. राष्ट्रपति विदेशों में भारत के राजदूतों एवं उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है।
3. राष्ट्रपति भारत संघ के सभी प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है।
4. राष्ट्रपति सभी भारतसंघ के सभी प्रमुख आयोगों का गठन करता है (नीति आयोग को छोड़कर) तथा उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है।
5. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उनके कुलपतियों की नियुक्ति करता है।

2. विधायी / विधि निर्माण की शक्तियाँ →

1. अनुच्छेद 85 के अन्तर्गत राष्ट्रपति संसद का सत्र / अधिवेशन (लोकसभा का सत्र) बुलाता है। तथा ~~प्रथम~~ (अनुच्छेद 86) सत्र में अपना अभिभाषण देता है तथा सत्र का सत्रावसान (समाप्त) भी कर सकता है।
2. राष्ट्रपति के अभिभाषण को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल तैयार करता है।
3. अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है।
4. अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है।
5. संसद के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कानून बनते हैं।
6. ★ धन / वित्त / विनियोग विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किये जाते हैं तथा राष्ट्रपति इन पर अनुमति देने से रोक / मना नहीं कर सकता।
7. राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित विधेयक को एक बार पुनर्विचार के वापिस भेज सकता है। परन्तु यदि विधेयक दुबारा पारित

1 मतदाता – 1 विधानसभा सदस्य
8 विधानसभा = 1 लोकसभा सदस्य
2½ लोकसभा = 1 राज्यसभा

होकर आ जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं।

7. अनुच्छेद-111 में राष्ट्रपति को Veto Power (निषेधाधिकार शक्ति) दी गई है। जिसके अंतर्गत वह विधेयक पर हस्ताक्षर करने या अनुमति देना रोक सकता है या मना कर सकता है (निलंबनकारी शक्ति)

8. राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग निम्न 3 प्रकार से करता है–
1. निलंबनकारी वीटो → विधेयक को 1 बार पुनर्विचार के लिए भेज देता है।
2. जेबी / पॉकेट वीटो → वह विधेयक पर न तो हस्ताक्षर करे, न ही मना करे अपितु अपने पास रोक कर रखे।
3. पूर्ण / आत्यांतिक / निरंकुश वीटो → विधेयक पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट मना कर देता है।

9. राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह ने 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर पहली बार Veto Power का प्रयोग किया था। (जेबी Veto)

10. अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। जिसके अंतर्गत वह संसद के विश्रांतिकाल में अपने हस्ताक्षर से सीधे कानून बना सकता है।

11. अध्यादेश 6 माह के लिए लागू होता है तथा संसद में प्रस्तुत करने के 6 सप्ताह के भीतर पारित करना अनिवार्य होता है अन्यथा स्वतः समाप्त हो जाता है।

कोर्टमार्शल – सेना का कोर्ट न्यायालय
अरुणाचल प्रदेश + सिक्किम = नेफा क्षेत्र

मौलिक अधिकारों में स्थगन – 359 अनुच्छेद
वित्त आयोग – अ. 280

3. न्यायिक / क्षमादान की शक्ति (अनुच्छेद – 72) →

राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई सजा को क्षमायाचना के आधार पर कम, निलंबित, परिवर्तित एवं माफ कर सकता है तथा मृत्युदंड एवं कोर्टमार्शल की सजा को भी कम/माफ कर सकता है।

4. सैनिक शक्तियाँ →

1. राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है।
2. राष्ट्रपति युद्ध एवं युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है।

II आपातकालीन शक्तियाँ → (भाग-18, अनु-352 – 360)

1. राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद 352) →

- यह युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है।
- यह मंत्रिमण्डल की लिखित सलाह के आधार पर लगाया जाता है।
- इसे संसद के द्वारा 1 माह में विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य होता है।
- यह 6 माह के लिए लगाया जाता है परन्तु संसद इसे 6-6 माह करके अधिकतम कितना भी बढ़ा सकती है।
- 44 वें संशोधन 1978 के द्वारा "आंतरिक अशांति" शब्द को हटाकर "सशस्त्र विद्रोह" शब्द जोड़ा गया है।

- अभी तक यह निम्न 3 बार लगा है –

I – 26 अक्टूबर 1962 – 10 जनवरी 1968 तक

कारण – चीन का आक्रमण
क्षेत्र – नेफा क्षेत्र
राष्ट्रपति – डॉ राधाकृष्णन
प्रधानमंत्री – पंडित नेहरू

II 4 दिसम्बर 1971 – 21 मार्च 1977 तक
कारण – पाकिस्तान का आक्रमण
क्षेत्र – भारत-पाक सीमा क्षेत्र
राष्ट्रपति – V.V गिरि
प्रधानमंत्री – इंदिरा गांधी

III 25 जून 1975 – 21 मार्च 1977 तक
कारण – आंतरिक अशांति
क्षेत्र – पूरा देश
राष्ट्रपति – फखरुद्दीन अली अहमद
प्रधानमंत्री – इंदिरा गांधी

2 संवैधानिक आपात / राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना (अनुच्छेद 356)

→
- यह संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगाया जाता है।
- राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट राष्ट्रपति को राज्यपाल देता है तथा इसी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।

- इसे संसद के द्वारा 2 माह में पारित करना अनिवार्य होता है।
- यह 6 माह के लिए लगाया जाता है परन्तु संसद इसे 6-6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ा सकती है।

- इसके लागू होते ही राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से निलंबित हो जाती है। जबकि विधानसभा इसके संसद से पारित होने

के बाद निलंबित होती है।
- इसमें राज्य कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। तथा इनका प्रयोग राज्यपाल करता है अर्थात इस अवधि राज्य का शासन राज्यपाल चलाता है।
- इस अवधि में राज्य के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद बनाती है।
- इसे सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है अर्थात इसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है।
- यह सर्वप्रथम 20 जून 1951 को पंजाब राज्य में लगा था।
- यह सबसे लम्बी अवधि के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य में लगा है।
- यह सबसे अधिक 10 बार मणिपुर में लगा है।
- राजस्थान में अभी तक तीन बार लगाया गया है—

I 13 मार्च 1967 — 26 अप्रैल 1967 तक
राज्यपाल — डॉ सम्पूर्णानंद
मुख्यमंत्री — मोहनलाल सुखाड़िया

II 30 अप्रैल 1977 — 21 जून 1977 तक
राज्यपाल — डॉ देवपाल त्यागी
मुख्यमंत्री — हरिदेव जोशी

III 17 फरवरी 1980 — 5 जून 1980 तक
राज्यपाल — रघुकुल तिलक
मुख्यमंत्री — भैरोसिंह शेखावत

iv 15 दिसंबर 1992 - 3 दिसम्बर 1993 तक
राज्यपाल - रम्म चेन्नारेड्डी
मुख्यमंत्री - भैरोसिंह शेखावत

3 वित्तीय आपात (अनुच्छेद 360) →

- राष्ट्रपति वित्तीय संकट उत्पन्न होने के आधार पर पुरे देश या देश के किसी भी भाग में वित्तीय आपात लगा सकता है।
- इसे संसद के द्वारा 2 माह में पारित करना अनिवार्य होता है।
- यह 6 माह के लिए लगाया जाता है परन्तु संसद इसे 6-6 माह करके कितना भी बढ़ा जाता सकती है।
- इसमे वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हो जाती है।
- इसमे राष्ट्रपति भारत की संचित निधि से दिये जाने वाले वेतन भत्तो में कटौती कर सकता है।
- यह अभी तक 1 बार भी नही लगा है।